ालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

शल संख्याः– 246/2024 निर्णय दिनांक :– 30.04.2025

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. विजयपाल पुत्र यादराम जाति गुर्जर निवासी जाटियाला तहसील कोटकसीम जिला अलवर राज0
2. सत्यपाल पुत्र यादराम जाति गुर्जर निवासी जाटियाला तहसील कोटकसीम जिला अलवर राज0

–प्रार्थीया–

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

तहसीलदार नगरफोर्ट

अधिवक्ता प्रार्थीगण
धर्मराज गुर्जर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 579 खसरा नम्बर 2659/2441 रकबा 6.82 है, खसरा नम्बर 2661/2450 रकबा 0.70 है0, वाके ग्राम नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काफी वर्षो से काबिज काश्त है। वर्तमान में सम्पूर्ण आराजीयात खाली पडी है और आस पास के खेत खाली है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की मेड/डोल का नष्ट कर सीमा चिन्हो को नष्ट कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण व आस पास के खेत वालो को मध्य सीमा चिन्हो को लेकर लडाई झगडा होने व मौके पर शांति भंग होने की पुरी सम्भावना है। प्रार्थीगण के खेतो के पडोसियों ने नाजायज रूप में फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर अमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो के धीरे धीरे अपने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थीगण की आराजी के पडोसी प्रार्थीगण की भूमि को अपने खेतो में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का वाद विवाद उत्पन्न

Scanned with OKEN Scanner

कि उक्त पडोसी व प्रार्थीगण के मध्य पूर्व में ही विभाजन हो रखा है। ा जब भी अपने खेत पर जाते है तो उन्हे वहां पर सीमा चिन्ह नही मिलते है। र्तमान में खेत खाली है। इस लिए अभी खेत पत्थरगढी की जाती है तो आने वाले समय में जब भी फसल काश्त करने में कोई विवाद पैदा नही होगा और प्रार्थीगण मुकदमेबाजी से बच जायेंगे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त आराजी पर पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद नही है। प्रार्थीगण के समस्त नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। किसी भी पक्षकार का नामान्तकरण अवशेष नही है। आवेदक की भूमि की सीमाओ राजकीय भूमि नही होना बताया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही होना बताया है।

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0 एक्ट स्वीकार कर जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में अंकित भूमि खाता संख्या 579 खसरा नम्बर 2659/2441 रकबा 6.82 है, खसरा नम्बर 2661/2450 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम नगर की 'विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु सम्बंधित तहसीलदार प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीया को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner